

अलवर

12/11/20

2020

172

इलाका 4

वकील कारी उपर वकील कारी को प्रतिवादीगण की तम्बी हेतु तम्बाना प्रेशा कले हेतु अनेक अपसर दिये गये लेकिन कारी ने तम्बी हेतु तम्बाना प्रेशा नही किये। कारी को दि० 28/10/20 को न्यायादित में एक अन्तिम अपसर दिये जाके के उपरान्त भी कारी ने तम्बी हेतु तम्बाना प्रेशा नही किये अतः वाद कारी अन्तर्गत धारा 09 R O S CPC के तहत अडक तकरीम में खारिज किया जागा है। पुण्यवकी कारी तकरीम दायित्व दफ्ता ही। (अनुमोदित)

सहायक कलक्टर
अलवर

